UPFD040–14530–2026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद

प्रकीर्ण सं०–617/2026

प्रांशू बनाम पूजा शर्मा आदि।

दिनांक–23–04–2026

पत्रावली पेश हुई। विगत तिथि को प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र धारा–173 (4) बी०एन०एस० पर सुना।

प्रार्थी का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी की शादी दिनांक 28.11.2024 को पत्नी पूजा शर्मा के साथ सम्पन्न हुई थी। पत्नी पूजा शर्मा बहुत ही गिरे चाल चलन की महिला है, उसके शादी के पूर्व से ही अजय कुशवाह उर्फ भूल्लाड़ी, के साथ अवैध सम्बंध हैं, जिसकी जानकारी प्रार्थी को बाद शादी पता चली, प्रार्थी ने ये सब गलत करने से रोकना शुरू कर दिया, जिसके चलते, पत्नी पूजा शर्मा आये दिन घर में तोड़फोड़, खाना न बनाना, प्रार्थी की माँ के साथ, आए दिन मारपीट, प्रार्थी की बहनों के साथ, आए दिन गलत व्यवहार, ये पत्नी पूजा शर्मा की आदत बन गयी। प्रार्थी द्वारा पत्नी पूजा शर्मा को सब कुछ करने के लिए शक्ति के साथ रोका गया, तो पत्नी पूजा शर्मा ने अजय कुशवाह उर्फ भुल्लाड़ी से, रात रात भर फोन पर बात करना शुरू कर दिया, इस सब से प्रार्थी सदमें में रहने लगा, प्रार्थी के द्वारा पत्नी पूजा को कई बार समझाया गया, किन्तु पत्नी पूजा मानने को तैयार नहीं हुई। दिनांक 13.01.2025 को, पत्नी पूजा शर्मा ने प्रार्थी के माँ के पैत्रिक जेवरात, एक सोने का तिलक, एक जोड़ी कानों के कुण्डल, दो सोने के हार, एक बड़ा हार सोने का, चार अँगूठी सोने की, एक मंगल सूत्र सोने का, एक जोड़ी कंगन, एक जोडी पायल चौदी की, एक करधनी चाँदी की, नाक की बेसर व 5,000 /– रूपये नगद व समस्त जेवरात कुछ पहनकर, कुछ रखकर, अपने भतीजे प्रयांशू के साथ चली गई। जिसके सम्बंध में, प्रार्थी के पास, समस्त जेवरात पहने हुए फोटो है, जिसे आज तक वापस नहीं किया है, जाते समय परणी पूजा शर्मा ने कहा, कि जब लौट कर आऊँगी, तो ये सारा सामान लेकर लौटूंगी, आप विश्वास रखें। दिनांक 25.01.2025 को प्रार्थी उसे लेने गया, तो पत्नी पूजा शर्मा ने आने से साफ इंकार कर दिया और कहा, कि मेरा उद्देश्य, आपके साथ केवल विश्वास में घात करने का था, पत्नी पूजा शर्मा ने षडयंत्र के तहत, प्रार्थी के समस्त पैत्रिक जेवरात, विपक्षीगणों के साथ मिलकर हड़प लिए हैं, प्रार्थी ने कई बार पत्नी पूजा शर्मा को अजय कुशवाह उर्फ भुल्लाड़ी के साथ जाते हुए देखा है, किन्तु वह इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं है। दिनांक 15.04.2025 को, समय करीब दोपहर 02:00 बजे, प्रार्थी अपने घर पर मौजूद था, प्रार्थी की माँ पिता को लेकर, कैंसर के इलाज हेतु मुम्बई गई हुई थी, प्रार्थी की एक बहन नोएडा में थी, घर पर प्रार्थी व छोटी बहन मौजूद थे, तभी पत्नी पूजा शर्मा व भतीजा प्रयाँशू घर के अंदर घुस आये, प्रार्थी को बेरहमी से मारा पीटा, उनके द्वारा अचानक से प्रार्थी के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे प्रार्थी के माथे पर, गंभीर चोट आई, जिसका इलाज प्रार्थी द्वारा जिला अस्पताल फिरोजाबाद में कराया गया, प्रार्थी ने घटना के संबंध में, तुरंत ही, पुलिस को सूचना दी, किंतु पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, प्रार्थी के पिता इतने बीमार हैं, उनका कैंसर अंतिम चरण पर है, उनकी जीभ कट चुकी है। प्रार्थी इन सभी परेशानीयों से जूझ रहा था, इस सबके चलते, आगे कोई शिकायत नहीं कर पाया था। विपक्षीगण, प्रार्थी की एक–एक गतिविधि पर नजर रखें हुए थें, इसी सबके

चलते दिनांक 19.04.2025 को समय करीब 12:00 बजे पत्नी पूजा शर्मा, प्रार्थी की अनुपस्थिति में घर के अंदर घुस आई, उसके साथ उसकी माँ मीरा देवी, बहनें ममता, वंदना, पिता चन्द्रभान, भाई सतीश, भाई प्रमोद, प्रयांशू भतीजा, सीमा भाभी, जीजा सुधीर पुत्र रामसनेही, एक राय मशवरा होकर, मारपीट करना शुरू कर दिया, प्रार्थी की माँ का गला दबाने की कोशिश की, जिसके निशान प्रार्थी की माँ की गर्दन पर आज भी मौजूद है, प्रार्थी की बहनें मल्लिका, खुशी, अलीशा, जो कि घर पर मौजूद थी, उनके साथ भी मारपीट, अभ्रद व्यवहार किया, पत्नी पूजा की बहन वंदना के द्वारा प्रार्थी की बहनों को बेरहमी से मारापीटा गया, मुझ प्रार्थी के पिता जो कि कैंसर पीड़ित है, उनके साथ भी मारपीट की, मुझ प्रार्थी की माँ की चीख पुकार सुनकर, घर के नीचे गोडाऊन से, काम कर रहे लोगों ने, आकर बचाया, उपरोक्त सभी जाते समय, जान से मारने की व देखने की धमकी देते हुए, चले गए, ये पूरी घटना प्रार्थी के घर में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद हो गयी है। प्रार्थी के साथ, एक षडयंत्र के चलते, विश्वास में घात कर, विपक्षीगणों ने माँ के पैत्रिक जेवरात, एक सोने का तिलक, एक जोड़ी कानों के कुण्डल, दो सोने के हार, एक बड़ा हार सोने का, चार अँगूठी सोने की, एक मंगल सूत्र सोने का, एक जोड़ी कंगन, एक जोड़ी पायल चाँदी की, एक करधनी चाँदी की, नाक की बेसर व 5,000/– रूपये नगद हड़प लिये है, प्रार्थी को लगातार विश्वास दिलाया जा रहा है। आपके पैत्रिक जेवरात, आपको वापस किये जायेंगे, किन्तु आज तक उक्त लोगों ने, प्रार्थी के पैत्रिक जेवरात वापिस नहीं किये हैं और फोन उठाना भी बंद कर दिया है। उक्त विपक्षीगणों द्वारा, प्रार्थी के साथ, धोखाधड़ी, विश्वास में घात व षडयंत्र करते हुए. इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। प्रार्थी के द्वारा अमानत पैत्रिक जेवरात की बार–बार मांग की जा चुकी है, लेकिन विपक्षीगणों द्वारा आज तक नही दिये है और विपक्षीगणों द्वारा स्वंय को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिये प्रार्थी के साथ अमानत में ख्यानत का अपराध कारित किया गया है। घटना के सम्बन्ध में आवेदक ने प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद को जरिये डाक भेजा किन्तु कार्यवाही नही हुई।

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन में सूची से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरेाजाबाद को प्रेषित प्रार्थनापत्र, डाक रसीद, फोटोग्राफ़, चैटिंग, चिकित्सीय प्रपत्र आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की है।

थाने की आख्या के अनुसार आवेदक के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस० के निस्तारण के बावत **माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा** Babu Venkatesh v. The State Of Karnataka reported in (2022) 5 SCC 639 व Priyanka Srivastava v. State of U.P. reported in (2015) 6 SCC 287 में निम्न दिशा–निर्देश निर्गत किये हैं–"in an appropriate case, the learned Magistrate would be well advised to verify the truth and also verify the veracity of the allegations. The Court has noted that, applications under Section 156(3)Cr.P.C. are filed in a routine manner without taking any responsibility only to harass certain persons. This Court has further held that, prior to the filing of a petition under Section 156(3)Cr.P.C., there have to be

applications under Sections 154(1) and 154(3)Cr.P.C.. This Court emphasises the necessity to file an affidavit so that the persons making the application should be conscious and not make false affidavit. With such a requirement, the persons would be deterred from causally invoking authority of the Magistrate, under Section 156(3)Cr.P.C.. Inasmuch as if the affidavit is found to be false, the person would be liable for prosecution in accordance with law."

उक्त माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि–व्यवस्थाओं में निर्गत विधिक सिद्धान्त के आलोक में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 173(4) बी०एन०एस०एस० का विश्लेषण किया जाना है।

न्यायालय द्वारा आवेदक के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र का माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत प्रपत्र संख्या–7600/एडमिन "जी"–2 दिनांकित इलाहाबाद 27.05.2015 के अनुक्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के विधि व्यवस्था मि. प्रियंका श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, क्रि०अपील संख्या–781/12 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में सम्यक रूप से विचार किया गया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक प्रांशू के द्वारा अपनी पत्नी विपक्षी पूजा एवं उसके परिवारीजन के विरूद्व आरोप कथित किये है। यह कथन भी किया है कि आवेदक के घर में घुसकर विपक्षीगण ने गाली गलौज कर मारपीट के कथन किये गये है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि विपक्षीगण आवेदक के पत्नी एवं ससुरालीजन है तथा दोनो पक्षों के मध्य वैवाहिक विवाद का होना प्रतीत होता है तथा पक्षकारों के मध्य अन्य मुकदमेंबाजी भी है। उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्वंय गहनता से जांच की जा सकती है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य–2007 (59) ए०सी०सी०–739 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जोसेफ माथुरी उर्फ विश्वेश्वरानन्द व अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी व अन्य–2001 (सप्ली) ए०सी०सी० माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुक्रम मे न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच की जा सकती है। अतः मामले को परिवाद के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

आवेदक का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा –173(4) बी०एन०एस०एस० निस्तारित करते हुए परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। वाद लिपिक को आदेशित किया जाता है कि मामले को परिवाद के रूप मे CIS पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा–223 बी०एन०एस० एस० दिनांक 29–06–2026 को पेश हो।

(विजय कुमार वर्मा–II)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
फिरोजाबाद।
JO CODE UP01987

Digitally signed by Vijay Kumar Verma
Date: 2026.05.13 09:50:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court